आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
10/7/2014	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा** **जिला विधि प्रशाखा** **आपूर्ति अपील संख्या 83/2011** **मैनेजर राय बनाम बिहार सरकार एवं अन्य** **आदेश** संदर्भित अपील आवेदन माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC सं0 4196/14 मैनेजर राय बनाम राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 11.3.2014 से संबंधित है। उक्त रिट याचिका अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर के आदेश ज्ञापांक 823 दिनांक 17.10.11 के विरुद्ध वाद दायर किया गया है। दायर अपील वाद की सुनवाई की गयी। वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, दरियापुर के द्वारा मैनेजर राय, जन वितरण प्रणाली विकेता, ग्राम पंचायत–सूतिहार, प्रखंड दरियापुर की दूकान का निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है, जिसमें अंकित अनियमितता निम्नवत् है: 1. दुकान बंद पाई। 2. विकेता के द्वारा एक उपभोक्ता शंकर ठाकुर को 20 किलो चावल के बदले अगस्त माह का कूपन फाड़ लिया गया था, जो अवैध है। 3. विकेता के दूकान के साथ सम्बद्व लाभुक यथा– लालबाबू पटवा, मनोज कुमार साह, संजय कुमार सिंह एवं अन्य ग्रामीण सूतिहार के द्वारा बतलाया गया कि 20 किलो चावल लेने जब वे विकेता की दूकान पर पहुँचे तो, उन्हें अनाज नहीं दिया गया एवं उनसे कूपन की मॉग की गयी। 4. विकेता की दूकान के साथ रामबाबू प्रसाद निलम्बित दूकान के उपभोक्ताओं के द्वारा भी बतलाया गया कि 20 किलो चावल के बदले माह अगस्त के कूपन की मॉग की जा रही है। उक्त अनियमितता के आलोक में अनुज्ञापन पदाधिकारी के ज्ञापांक 738 दिनांक 15.	

9.11 के द्वारा अपीलार्थी से स्पष्टीकरण पूछा गया। विक्रेता से प्राप्त स्पष्टीकरण में अंकित बिन्दुओं को असंतोषजनक पाते हुए अनुज्ञापन पदाधिकारी को ज्ञापांक 823 दिनांक 17.10.11 के द्वारा विक्रेता के अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया।

अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए उपस्थित अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बतलाया गया कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा पूछे गए स्पष्टीकरण में जॉच का समय अंकित नहीं है। अपीलार्थी के द्वारा जॉच की तिथि को निर्धारित समय तक दूकान खोलकर उपभोक्ताओं के बीच वितरण किया गया। तत्पश्चात् आवश्यक कार्य से दूकान बंद कर डेरनी बाजार चला गया। शंकर ठाकुर, लालबाबू, मनोज कुमार साह, संजय कुमार सिंह एवं अन्य उपभोक्ताओं ने भी शपथ पत्र दाखिल कर वगैर कूपन के 20 किलो अतिरिक्त चावल मिलने की बात स्वीकार की है तथा अपीलार्थी से किसी प्रकार की शिकायत न होने का प्रमाण–पत्र दिया गया है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता ने अनुज्ञप्ति बहाल करने हेतु अनुरोध किया।

सरकार का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक के द्वारा बतलाया गया कि विक्रेता पर जो आरोप लगाया गया है, वह अनुज्ञप्ति की शर्त्तों, विभागीय दिशा–निर्देशों के उल्लंघन का परिचायक है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में संधारित कागजातों के परिसलनोपरान्त पाया कि जिन उपभोक्ताओं के द्वारा जॉच की तिथि को अपीलार्थी के विरूद्व विभिन्न बिन्दुओं पर शिकायत की गई, उन्हीं के द्वारा बाद में अपीलार्थी से किसी प्रकार की शिकायत न होने का शपथ पत्र दिया जाना आश्चर्यजनक एवं संदेहास्पद है। सभी प्राप्त शपथ पत्र को अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर को सत्यापन हेतु भेजा जाए एवं स्पष्ट प्रतिवेदन की मॉग की जाए। अभिलेख 28.8.2014 को प्रस्तुत करें।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा	जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा

ज्ञापांक 853 दिनांक 01/8/2014

प्रतिलिपि– SDO सोनपुर को कुल दो शपथ पत्र की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– NIC पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा, सारण